समक्ष न्यायलय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

निग/3880-I-15

पुनरीक्षण याचिका कं.................................15–15

अपीलार्थी –

श्री आलोक मिश्रा

पिता श्री शम्भूप्रसाद मिश्रा

निवासी 2149 पुराना शोभापुर, गोकलपुर, जबलपुर

विरूद्ध

प्रतिअपीलार्थी–

1– म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार केन्ट जबलपुर

2– श्रीमति रत्नारानी आहूजा पति श्री आर.आर.आहूजा

निवासी– सिविल लाईन, जबलपुर

<u>आवेदन पत्र वास्ते पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50(6) म.प्र भू–राजस्व संहिता 1959</u>

आवेदक यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय तहसीलदार केंन्ट जबलपुर के अंतरिम आदेश दिनांक 6/11/2015 से व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि अनावेदिका श्रीमति रत्ना रानी आहूजा द्वारा अधीनस्थ न्यायलय तहसीलदार केन्ट द्वारा राज. प्रकरण क. 42–अ/6–अ/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30–06–2014 के विरूद्ध न्यायलय अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोरखपुर के समक्ष अपील प्रकरण क. 25/अ–6/2015–14 प्रस्तुत की थी।

2. यह कि उपरोक्त अपील प्रकरण क. 25/अ–6/2013–14 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20–04–2015 को निराकरण करते हुये प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण क. 42–अ/6–अ/13–14 को पुनः दस्तावेजो का मिलान करते हुये निराकरण किया जाये।

3. यह कि आवेदक द्वारा दिनांक 28–08–2015 को अधीनस्थ न्यायलय तहसीलदार केन्ट जबलपुर के समक्ष उपस्थित होकर म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की संशोधित धारा 49(3) की प्रति प्रस्तुत करते हुये आपत्ति प्रस्तुत की जिसके अनुसार "अपील प्राधिकारी उस आदेश की जिसके विरूद्ध अपील की गयी हो पुष्टि कर सकेगा। उसमें फेराफेट कर सकेगा या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसा कि आदेश पारित करने के लिए वह आवश्यक समझे परन्तु अपील प्राधिकारी किसी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को प्रकरण को निराकरण के लिए प्रतिप्रेषित नही कर सकेगा"।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 3880-दो/15 जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
[illegible]	प्रकरण आज लिया गया। आवे.क्र. 2 की ओर से अभि. श्री अनिल सप्रे एवं उपस्थित आवेदक अधिवक्ता ने उभयपक्ष मध्य राजीनामा हो जाने कि वे प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते। अना. अभि. उत्तर भी इसी आशय का आवेदन पेश किया गया है। दर्शित परिस्थिति में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। [signature] सदस्य	Not press Jaiswal [signature] 30-3-2011 [signature] 30-3-16 [signature] 30/3/11